न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 41/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/166

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, नावा		1. भंवरी देवी पत्नी बालूराम जाति रेगर निवासी मारोठ हाल निवासी रेगरों का मोहल्ला वार्ड नं0 19 पुरानेथाने के पास नावा शहर

उपस्थिति –
1. श्री रामरतन रेगर नायब तहसीलदार नावा, प्रार्थी की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 के उप नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त करवाने बाबत

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 19.03.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा ग्राम मारोठ के साबिक खसरा नम्बर 1388 रकबा 0.51 हैक्टर भूमि में से 0.31 हैक्टर भूमि अप्रार्थी भंवरी देपी पत्नी बालूराम जाति रेगर, निवासी मारोठ को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि उपखण्ड अधिकारी नावां के आदेश क्रमांक/राजस्व/02/38 से 40 दिनांक 26.06.2002 के द्वारा आवंटन की जाकर अप्रार्थी भंवरी देवी पत्नी बालूराम जाति रेगर, निवासी मारोठ को राजस्व रिकार्ड में गैर–खातेदार दर्ज किया गया था। खसरा नम्बर 1388/1 रकबा 0.31 हैक्टर में भंवरी देवी पत्नी बालूराम जाति रेगर, निवासी मारोठ को ना.स. 415 दिनांक 05.01.2003 के द्वारा गैर खातेदारी दर्ज किया गया था। जिसके शुद्ध बट्टा नम्बर देकर 1695/1388 रकबा 0.31 हैक्टरर दर्ज किया गया जिसमें भंवरी देवी पत्नी बालूराम रेगर, नि. मारोठ आज दिन तक गैर खातेदारी चली आ रही है।

अप्रार्थी को उक्त भूमि आदेश दिनांक 26.06.2002 से आवंटित हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अ[illegible] प्रतिशत भू–भाग को व द्वितिय वर्ष शेष 50 प्रतिशत भू–भाग को जोतना अ[illegible]क [illegible] और प्रार्थी ने उक्त नियम 14(3) की शर्त की पालना नहीं की है, [illegible]सरा गिरदारी [illegible] 2026 से 2077 तक की नकलों से सुस्पष्ट है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.04.05 11:14:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

अप्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है तथा मौके पर भूमि बंजर है। जिस पर काशत करना मुमकिन नहीं है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है।

अप्रार्थी का विवरण जो इस प्रार्थना पत्र में दिया गया है वह सभी जीवीत एवं व्यस्क है एवं पता जो अंकित किया गया है उसी पर अप्रार्थी निवास कर रहे है। उक्त सम्बन्ध में पटवारी हल्का का प्रमाण पत्र सलंग्न है।

अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) की पालना नहीं की है।

अतः खतौनी नकल, नामान्तरकरण, आवंटन आदेश सम्पूर्ण गिरदावारी की प्रमाणित नकले व उपयुक्तानुसार पटवारी की मौका रिपोर्ट व पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न कर निवेदन है कि अप्रार्थी को किये गये आवंटन दिनांक 26.06.2002 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी ग्राम मारोठ संवत 2074–77, खसरा गिरदावरी संवत 2062–65, संवत 2066–69, सवंत 2070–73, संवत 2074–77 तथा पटवारी हल्का मारोठ की मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां एवं म्युटेशन नं. 415 की छायाप्रतियां पेश कीं।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से वकालतनामा श्री रणजीत बलारा अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। परन्तु पक्षकार द्वारा अधिवक्ता के सम्पर्क में नहीं होने के कारण दिनांक 11.3.2024 को अधिवक्ता द्वारा No Instrction किया। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस सुनी गई। राज पैरोकार नायब तहसीलदार नावां ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा ग्राम मारोठ के साबिक खसरा नम्बर 1388 रकबा 0.51 हैक्टर भूमि में से 0.31 हैक्टर भूमि अप्रार्थी भंवरी देपी पत्नी बालूराम जाति रेगर, निवासी मारोठ को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि उपखण्ड अधिकारी नावां के आदेश कमांक/राजस्व/02/38 से 40 दिनांक 26.06.2002 के द्वारा आवंटन की जाकर अप्रार्थी भंवरी देवी पत्नी बालूराम जाति रेगर, निवासी मारोठ को राजस्व रिकार्ड में गैर–खातेदार दर्ज किया गया था। खसरा नम्बर 1388/1 रक[illegible]र में भंवरी देवी पत्नी बालूराम जाति रेगर, निवासी मारोठ को ना[illegible] खातेदारी दर्ज किया गया था। जिसके शुद्ध बट्टा नम्[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.04.05 11:14:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

दर्ज किया गया जिसमें भंवरी देवी पत्नी बालूराम रेगर, नि. मारोठ आज दिन तक गैर खातेदारी चली आ रही है।

अप्रार्थी को उक्त भूमि आदेश दिनांक 26.06.2002 से आवंटित हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अनुसार अप्रार्थी द्वारा प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू–भाग को व द्वितिय वर्ष शेष 50 प्रतिशत भू–भाग को जोतना आवश्यक था। और प्रार्थी ने उक्त नियम 14(3) की शर्त की पालना नहीं की है, जो खसरा गिरदारी संवत 2026 से 2077 तक की नकलों से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) की पालना नहीं की है। अतः खतौनी नकल, नामान्तरकरण, आवंटन आदेश सम्पूर्ण गिरदावारी की प्रमाणित नकले व उपयुक्तानुसार पटवारी की मौका रिपोर्ट व पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न कर निवेदन है कि अप्रार्थी को किये गये आवंटन दिनांक 26.06.2002 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

बहस के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड जमाबंदी ग्राम मारोठ सम्वत् 2074–77 अनुसार खसरा नम्बर 1695/1388 रकबा 0.31 हैक्टयर किस्म जमीन बा.2 अप्रार्थी भंवरी देवी पत्नी बालुराम जाति रेगर सा0 देह के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का मारोठ की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम मारोठ के खसरा सं0 1695/1388 रकबा 0.31 हैक्टयर किस्म बारानी–2 गैर खातेदार भंवरी देवी पत्नी बालुराम जाति रेगर आज दिनांक तक काबिज नहीं है। मौके पर यह भूमि नलें व पहाडी क्षेत्र है। गैर खातेदार ने आज तक मौके पर कब्जा नहीं किया है। राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के तहत जारी आवंटन आदेश की शर्तों के अनुसार आवंटन के प्रथम वर्ष आवंटी द्वारा 50 प्रतिशत भूमि पर काश्त करने एवं शेष सम्पूर्ण रकबे पर दो वर्षों के भीतर काश्त करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सं. 2074–77 एवं मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार आवंटी/अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तोनुसार मौके पर कब्जा काश्त नहीं किया गया है। अप्रार्थी का आराजी भूमि पर कभी कब्जा काश्त रहा हो ऐसा कोई दस्तावेजी आधार/नकल गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे भी उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं होने के तथ्य की पुष्टि होती है। अप्रार्थी भंवरी देवी द्वारा राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के तहत जारी आवंटन आदेश की शर्तों की पालना नहीं की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.04.05 11:14:26 IST
Reason: SelfAttested

डीडवाना–कुचा…

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के उप नियम 14(4) के तहत अप्रार्थी भंवरी देवी को किया गया आवंटन निरस्त करने बाबत प्रार्थी तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा मारोठ के खसरा नम्बर 1695/1388 रकबा 0.31 हैक्टयर पर आवंटी/अप्रार्थी की दर्ज गैर खातेदारी/आवंटन को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि पुनः राजकीय सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार, नावां को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

19/3/24

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.04.05 11:14:26 IST
Reason: SelfAttested